


2025/1964

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)
(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - बाइका-कपास-बाभनिमा)



धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 1192

दायर दिनांक

10.10.25 निर्णय दिनांक

10.10.25

रिपोर्ट

क्र.सं.	नाम-ग्राम	खान	वर्तमान प्रविष्टि		शुद्ध प्रविष्टि	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	बाइका बाभनिमा	59	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक/2025-26/113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।	बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक	राजस्थान ग्रामीण बैंक	तहसीलदार कपासन की अनुशाखा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>बाइका-कपास-बाभनिमा</u> के <u>बाभनिमा</u> अधिकांश <u>59</u> में वर्तमान प्रविष्टि बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
			हस्ताक्षर पटवारी <u>म.न. शर्मा</u>	हस्ताक्षर गिरदावर <u>श्री</u>	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार <u>तहसीलदार (भू.अ.)</u>	पदेन सहायक कलक्टर कपासन <u>ky</u>

प्रतिलिपि पालनार्थ:-

- पटवारी पटवार मण्डल बाइका का बाभनिमा का भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में बाभनिमा का बाइका में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।

तहसीलदार कपासन
(तहसीलदार (भू.अ.))

तहसील कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़